जे.एस. तिवाना, जे. के समक्ष
ज्योति ऑयल स्टोर याचिकाकर्ता।
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य, -प्रतिवादी।
1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 5619
28 अप्रैल 1986.

भारत का संविधान,1950-अनुच्छेद 14-हरियाणा केरोसिन डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश, 1976-खंड 2(ए), 3 से 6, 11 और 14-खंड 14 सरकार को कुछ वर्गों के व्यक्तियों को नियंत्रण आदेश के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देता है-उपरोक्त खंड के तहत सरकारी अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें डिपो धारकों और उचित मूल्य की दुकानों को आदेश के खंड 3 से 6 के प्रावधानों से छूट दी गई है-खंड 2(ए) में परिभाषित "डीलरों" को ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है-छूट दी गई है-चाहे वह भेदभावपूर्ण हो-खंड' नियंत्रण आदेश से 14-क्या यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इस प्रकार हटाया जा सकता है

माना गया कि हरियाणा केरोसिन डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर,1976 के खंड 2(ए) में 'डीलर' को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ केरोसिन की बिक्री के लिए खरीद, बिक्री या भंडारण के व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति है, चाहे वह थोक हो या खुदरा और चाहे किसी अन्य व्यवसाय के साथ संयोजन है या नहीं। खंड 3 निषेधाज्ञा देता है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अनुसार छोड़कर डीलर के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा। खंड 4 से 6 में लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदन करने, लाइसेंस की अवधि और उसके लिए ली जाने वाली फीस और सुरक्षा जमा करने आदि का प्रावधान है। खंड 14 सरकार को कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को कुछ शर्तों से छूट देने का अधिकार देता है और नियंत्रण आदेश की शर्तें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त खंड राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आदेश के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, लेकिन विवेक का प्रयोग करने की हर शक्ति जरूरी नहीं है इसे भेदभावपूर्ण शक्ति या गैरकानूनी रूप से भेदभाव करने की शक्ति माना जाता है। सत्ता के दुरुपयोग की मात्र संभावना अनिवार्य रूप से सत्ता प्रदान करने को अमान्य नहीं कर देती। इस प्रकार आदेश की योजना में उन परिस्थितियों से संबंधित एक स्पष्ट नीति है जिसमें शक्ति का प्रयोग किया जाना है, शक्ति प्रदान करना आदेश की योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया गया माना जाना चाहिए और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 के समानता खंड उल्लंघन के रूप में हमला करने के लिए खुला नहीं है। यह अनुच्छेद हालांकि वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है फिर भी विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण को वर्जित नहीं करता है। उचित मूल्य की दुकानों और डिपो धारकों को नियंत्रण आदेश के संचालन से छूट देने वाली अधिसूचना "अनुमेय वर्गीकरण" की परीक्षा पास करने के लिए दो पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी (i) उसमें निर्दिष्ट वर्गीकरण (डिपो धारकों) को सुगम्यता पर आधारित किया गया है। विभिन्नता जो उन्हें अलग करती है



अन्य डीलर और (ii) इस अंतर का ऑर्डर द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु से तर्कसंगत संबंध है, यानी, आपूर्ति बनाए रखना, उचित मूल्य पर मिट्टी के तेल का समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह नहीं कहा जा सकता है कि डिपो धारक नियंत्रण आदेश के तहत अन्य डीलरों से अलग व्यक्तियों का एक वर्ग नहीं हैं और उनके पक्ष में दी गई छूट के कारण या उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाती है। इसके अलावा, डिपो-धारकों को दी जाने वाली छूट को किसी भी तरह से आदेशों की कठोरता से नहीं बचाया गया है या छूट नहीं दी गई है क्योंकि वे पहले से ही लगभग उसी प्रकार की आवश्यकताओं या दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार के साथ समझौते में हैं जैसा कि इसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है। आदेश और किसी भी तरह से नियंत्रण आदेश के खंड 11 की कठोरता या दमनकारीता से मुक्त नहीं हैं। उपरोक्त डिपो धारक भी किसी अन्य डीलर की तरह ही कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आदेश के खंड 3 से 6 के प्रावधानों से डिपो धारकों को दी गई छूट के लिए आदेश के बाकी प्रावधान जहां तक वे किसी अन्य डीलर पर लागू होते हैं यह आदेश डिपोधारकों पर भी लागू रहेगा। इस प्रकार, नियंत्रण आदेश के खंड 14 के तहत दी गई छूट

भेदभावपूर्ण नहीं है और उक्त खंड संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है और इस तरह रद्द किए जाने योग्य नहीं है। (पैरा 4 और 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत संशोधित याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया जाए और उसके अवलोकन के बाद, यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित जारी करने की कृपा कर सकता है: -

(i) निषेधाज्ञा की प्रकृति की एक रिट जो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 5 से 8 या किसी अन्य बिना लाइसेंस वाले या अनधिकृत व्यक्तियों को केरोसिन तेल की आपूर्ति करने से रोकती है;

(ii) हरियाणा केरोसिन डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर,1976 के तहत याचिकाकर्ता और अन्य समान खुदरा लाइसेंस धारियों के माध्यम से केरोसिन तेल की आपूर्ति और वितरण जारी रखने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को निर्देश देने वाला एक परमादेश।

(iii) हरियाणा केरोसिन डीलर्स लाइसेंसिंग के तहत लाइसेंस के बिना मिट्टी का तेल बेचने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के पक्ष में दिए गए प्राधिकरण (यदि कोई हो) को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट आदेश, 1976.

(iv) यह घोषित करते हुए एक उचित रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि एचकेडीएल आदेश,1976 का खंड 14 मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।



विवादित अधिसूचना अनुबंध पी/2 को अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर घोषित करने के लिए आगे निर्देश जारी किया जाए।

आगे प्रार्थना है:-

(i) एक अंतरिम रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 तक को यह निर्देश दिया जाए कि उत्तरदाताओं संख्या 5 से 8 को मिट्टी के तेल के वितरण के लिए मिट्टी के तेल के परमिट जारी न किए जाएं।

(ii) वर्तमान नोटिस के अग्रिम नोटिस जारी करने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए;

(iii) अनुलग्नक पी/एल और पी/2 की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की छूट दी जाए;

(iv) याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता और मनोज स्वरूप, अधिवक्ता।

बी.एल. बिश्नोई, अतिरिक्त. राज्य के लिए ए.जी. हरियाणा।

प्रतिवादियों की ओर से एम. एस. लिब्रहान, वकील।

निर्णय

जे.एस. तिवाना, जे.

(1) ये सात याचिकाएं (सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 5619, 5718, 5797, 5798, 6799, 1985 की 5800 और 1986 की 251) याचिकाकर्ता हैं जो हरियाणा केरोसिन डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, 1976 (इसके बाद आदेश कहा जाएगा) के तहत डीलर हैं, इस प्रकार, मिट्टी के तेल की आपूर्ति और बिक्री के

हकदार यह तर्क देना चाहते हैं कि: (i) आदेश का खंड 14 जो राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आदेश के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट देने का अधिकार देता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो एक मनमानी, अनियंत्रित और अनियंत्रित शक्ति का भंडार है, और (ii) आदेश के कुछ प्रावधानों से 23 जनवरी, 1986 (अनुलग्नक पी2) की अधिसूचना के माध्यम से निजी उत्तरदाताओं को दी गई छूट फिर से शून्य है, भेदभावपूर्ण और संविधान के उक्त अनुच्छेद का उल्लंघन है। सीखा



पक्षों के वकील इस बात से सहमत हैं कि उपरोक्त दो तर्कों की खूबियों का न्याय करने के लिए, पहली-उल्लेखित याचिका, यानी सी.डब्ल्यू.पी. में बताए गए तथ्य। इस सामान्य निर्णय के प्रयोजनों के लिए क्रमांक 5619/1985 को नमूने के रूप में लिया जा सकता है। तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति और सहयोग विभाग) के आदेश क्रमांक एस.ओ. 681(ई), दिनांक 30 नवंबर, 1974, और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों के तहत, हरियाणा के राज्यपाल ने केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से 10 मार्च, 1976 को आदेश जारी किया, क्योंकि उनकी राय थी कि यह "हरियाणा राज्य में केरोसिन की उचित कीमतों पर आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन था।" यह स्वीकार किया गया है कि इसका विस्तार पूरे हरियाणा राज्य तक है। आदेश के खंड 2 (ए) के अनुसार, "डीलर" का अर्थ मिट्टी के तेल की खरीद, बिक्री या बिक्री के लिए भंडारण के व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति है, चाहे वह थोक हो या खुदरा और चाहे वह किसी अन्य व्यवसाय के साथ जुड़ा हो या नहीं। खंड 3 निषेधाज्ञा देता है कि कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में उसे जारी किए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार ही डीलर के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा। खंड 4, 5 और 6 में लाइसेंस हासिल करने के लिए फॉर्म 'ए' में आवेदन करने, उक्त लाइसेंस की अवधि और उसके लिए ली जाने वाली फीस और शर्तों के उचित प्रदर्शन के लिए सुरक्षा जमा करने आदि का प्रावधान है। खंड 7 से 10 जो मौजूदा विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक या भौतिक नहीं हैं, उस स्थिति से संबंधित हैं जब किसी डीलर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, सुरक्षा जब्त की जा सकती है और इस आशय के पारित आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है। खंड 11 निदेशक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारी और अन्य अधिकारियों को केरोसिन डीलर के परिसर या किसी अन्य परिसर में प्रवेश करने की शक्ति देता है जहां आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है और माल जब्त करो

(3) याचिकाकर्ताओं का मामला, जैसा कि इस फैसले के शुरुआती हिस्से में पहले ही देखा जा चुका है, आदेश का खंड 14 राज्य सरकार को डीलर और डीलर के बीच भेदभाव करने का अधिकार देता है; यह शक्ति आदेश के किसी भी प्रावधान द्वारा निर्देशित या नियंत्रित नहीं होने के कारण अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में रद्द की जानी चाहिए



संविधान के, और, किसी भी मामले में, निजी उत्तरदाताओं को दी गई छूट, - इस आदेश के खंड 3 से 6 के प्रावधानों से लागू अधिसूचना पी 2 के माध्यम से, उस शक्ति के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है, और इस प्रकार, नीचे गिराए जाने योग्य है। इसके विपरीत, उत्तरदाताओं (आधिकारिक और साथ ही गैर-आधिकारिक) का मामला यह है कि आदेश की प्रस्तावना और साथ ही इसकी योजना में स्पष्ट

रूप से बताया गया है कि राज्य सरकार को कैसे और कब काम करना है। उसी के खंड 14 के तहत शक्ति का प्रयोग करें और उक्त शक्ति को किसी भी तरीके से अनियंत्रित नहीं माना जा सकता है। उत्तरदाताओं के अनुसार, आदेश का पूरा उद्देश्य हरियाणा राज्य में उचित मूल्य पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति और समान वितरण और उपलब्धता बनाए रखना है, जो कि एक आवश्यक वस्तु है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिसूचना पी.2 जारी करने के साथ सरकारी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण की एक समानांतर रेखा बनाई गई है। वास्तव में, यह अधिसूचना 16 अप्रैल, 1976 की एक अधिसूचना से पहले थी (अनुलग्नक आर 1) जो इस प्रकार है: -

> "हरियाणा केरोसिन डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, 1976 के खंड 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिक्रमण में, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 72/सी.ए. 10/55/3/पी.के. डी.एल.ओ./सी.एल. 11/69, दिनांक 10 सितंबर, 1969, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त आदेश के खंड 3, 4, 5 और 6 के प्रावधानों से निम्नलिखित को छूट देते हैं, अर्थात् :-

(1) सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर मिट्टी के तेल के व्यापार या बिक्री या भंडारण में लगे सभी व्यक्ति जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं; और

(2) केरोसिन की बिक्री के लिए बिक्री या भंडारण के व्यवसाय में लगे सभी व्यक्ति-

(i) सहकारी कृषि सेवा समितियाँ; और

(ii) सहकारी बचत और ऋण समितियाँ।



यह वह अधिसूचना है जिसे आक्षेपित अधिसूचना पी.2 द्वारा संशोधित किया गया है और उसी में खंड (iii) जोड़ा गया है (अनुलग्नक आर.1), जो इस प्रकार है: -

"राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित उचित मूल्य की दुकानें या डिपो-धारक।"

यह स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना आर 1 में संशोधन करने की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि यद्यपि पूरे समय राज्य सरकार डिपो धारकों के बिक्री परिसरों को "सरकारी उचित मूल्य की दुकानें" मानने या लेने पर विचार कर रही थी, फिर भी एक निश्चित चरण में, इस बात पर संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या डिपो धारकों के इन परिसरों को वास्तव में "सरकारी उचित मूल्य की दुकानें" माना जा सकता है, और इस प्रकार, पूरे मामले को संदेह से परे रखते हुए, वर्तमान में लागू अधिसूचना पी 2 को छूट देते हुए जारी किया गया था। डिपोधारकों को आदेश की धारा 3 से 6 के प्रावधानों से। इन उत्तरदाताओं के अनुसार, इससे डिपो-धारकों और याचिकाकर्ता के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है, जैसा कि पहले ही बताया गया है, आदेश के तहत खुदरा 'डीलर' हैं, और किसी भी मामले में, इसके लिए पर्याप्त औचित्य है। राज्य सरकार अपने उद्देश्य या आदेश को प्राप्त करने की दृष्टि से डिपोधारकों को बाकी डीलरों से अलग एक वर्ग के रूप में मानेगी, यानी उचित मूल्य पर इन डिपो के माध्यम से केरोसिन के वितरण की एक समानांतर रेखा तैयार करेगी। इन उत्तरदाताओं की ओर से इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि वास्तव में, डिपो-धारक राज्य अधिकारियों द्वारा विनियमित

कीमतों पर कई अन्य आवश्यक वस्तुओं को स्टोर करने और बेचने के लिए अधिकृत हैं, और इस प्राधिकरण के लिए, ये डिपो-धारक नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और समान वितरण के लिए पूर्व के साथ एक समझौता करना होगा। इस समझौते के आधार पर, ये डिपो-धारक आदेश में निहित लगभग समान शर्तों के अधीन हैं; उन्हें अपने पक्ष में डिपो के आवंटन से पहले सुरक्षा जमा करनी होती है और समझौते के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में उक्त सुरक्षा जब्त की जा सकती है, जो लगभग आदेश के विभिन्न प्रावधानों के समानांतर चलती है। इन डिपो-धारकों को प्रत्येक आवश्यक वस्तु के भंडारण और बिक्री के लिए लाइसेंस सुरक्षित करने से बचने के लिए, उन्हें आदेश के निर्दिष्ट प्रावधानों से छूट दी गई है। संक्षेप में, प्रतिवादी-अधिकारियों का मामला यह है कि, वास्तव में, इन डिपो-धारकों को वस्तुतः उन सभी आवश्यकताओं या दायित्वों का पालन करना और पूरा करना है जो कि आवश्यक हैं।



आदेश के तहत एक 'डीलर' द्वारा किया गया। पक्षों के विद्वान वकीलों को उनकी दलीलों के आलोक में विस्तार से सुनने के बाद, मुझे इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं दिखती है।

(4) इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश का खंड 14 राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आदेश के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, लेकिन प्रत्येक विवेक का प्रयोग करने की शक्ति को गैरकानूनी रूप से भेदभाव करने की शक्ति माना जाना आवश्यक नहीं है। सत्ता के दुरुपयोग की मात्र संभावना अनिवार्य रूप से सत्ता प्रदान करने को अमान्य नहीं कर देती। ऐसी शक्ति प्रदान करना आवश्यक रूप से इसे वास्तविक रूप से प्रयोग करने और शक्ति के प्रयोग के लिए प्रदान करने वाले नियमों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति को प्रभावी करने के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार, यदि नियमों की योजना में, उन परिस्थितियों से संबंधित एक स्पष्ट नीति जिसमें शक्ति का प्रयोग किया जाना है, स्पष्ट है, तो शक्ति प्रदान करना नियमों की योजना को आगे बढ़ाने के लिए माना जाना चाहिए और इसके लिए संविधान के समानता खंड के उल्लंघन के रूप में हमला खुला नहीं है । मेरे लिए, आदेश की प्रस्तावना और उसके तहत दी गई योजना को पढ़ने से प्रतीत होता है कि अयस्क के खंड 14 के तहत राज्य सरकार में निहित शक्ति को उसी के द्वारा नियंत्रित या निर्देशित किया जाता है और इसका प्रयोग इस दृष्टि से किया जाना चाहिए, हरियाणा राज्य में उचित मूल्य पर मिट्टी के तेल की उपलब्धता का समान वितरण सुनिश्चित करते हुए आपूर्ति बनाए रखना। इस प्रकार, आदेश के इस खंड में कोई अमान्यता नहीं मिलती।

(5) जहां तक अधिसूचना पी 2 को चुनौती देने या आदेश के खंड 14 के तहत शक्ति के प्रयोग का सवाल है, यह पालन करना मुश्किल है कि अगर बिजली का स्रोत अच्छा है तो इसे कैसे खराब माना जा सकता है। जब इसका प्रयोग राज्य में सर्वोच्च प्राधिकारी यानी सरकार, जो स्वयं आदेश के निर्माता द्वारा किया गया है, और इसकी प्रामाणिकता के लिए कोई चुनौती नहीं है। यहां इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं ने मूल अधिसूचना आर 1 पर दूर-दूर तक आपत्ति नहीं जताई है, जो वास्तव में, आदेश के खंड 3 से 6 के प्रावधानों से निर्दिष्ट वर्गों के व्यक्तियों को छूट प्रदान करती है; इन याचिकाओं में केवल संशोधन अधिसूचना पी 2 को चुनौती दी जा रही है। अधिसूचना पी 2 के माध्यम से, केवल डिपोधारकों या उचित मूल्य की दुकानें चलाने वाले व्यक्तियों को आरएल में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में जोड़ा गया है। यदि अधिसूचना अच्छी है, जो अनिवार्य रूप से इसे किसी भी चुनौती के अभाव में है, तो अधिसूचना पी 2 कानून की नजर में खराब कैसे है, यह याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। हालाँकि, इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 14, जैसा कि बार-बार कहा गया है



वर्ग विधान निषेध करता है फिर भी विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं

लगाता है, और मेरे विचार से, "अनुमेय वर्गीकरण" की परीक्षा में जीवित रहने या उत्तीर्ण होने के लिए विवादित अधिसूचना पी 2 पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करती है, अर्थात् (i) उसमें निर्दिष्ट वर्गीकरण (डिपो धारकों) को समझदार अंतर पर आधारित किया गया है जो उन्हें अन्य डीलरों से अलग करता है, और (ii) इस अंतर का आदेश द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध है, यानी, आपूर्ति बनाए रखना, पूरे हरियाणा राज्य में उचित मूल्य पर मिट्टी के तेल का समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्कसंगत रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि डिपो-धारक आदेश के तहत अन्य डीलरों से अलग एक वर्ग नहीं हैं, और उनके पक्ष में दी गई छूट आदेश के कारण या उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाती है। इसके अलावा मेरी राय है कि इस छूट के अनुदान से प्रतिवादी-डिपो धारकों को किसी भी तरह से आदेश की कठोरता से बचाया या छूट नहीं मिली है। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वे पहले से ही लगभग उसी प्रकार की आवश्यकताओं, या दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ एक समझौते के तहत हैं जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, और दूसरी बात, याचिकाकर्ता की धारणा है कि ये उत्तरदाताओं को किसी भी तरह से कठोरता या उत्पीड़न से मुक्त किया जाता है, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा था - आदेश का खंड 1 अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। मेरे विचार से, वे आदेश के खंड 2(ए) के संदर्भ में डीलर होने के नाते, इस खंड के तहत कार्रवाई के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं जितने कि आदेश के तहत याचिका दायर करने वाले हैं। यह खंड इस प्रकार है:-

"11. प्रवेश, तलाशी और जब्ती की शक्ति—(1) निदेशक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारी, सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारी, निरीक्षक, खाद्य और आपूर्ति या इसमें अधिकृत कोई अन्य अधिकारी राज्य सरकार की ओर से, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि इस आदेश का अनुपालन किया गया है: -
(ए) केरोसिन डीलर के किसी भी डिपो या किसी अन्य व्यावसायिक परिसर या किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश और निरीक्षण करेगा जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि केरोसिन रखा गया है, रखा जा रहा है या रखे जाने, भंडारण, वितरण, निपटान या होने की संभावना है। जहां से केरोसीन लाया गया है या निकाले जाने या परिवहन किए जाने की संभावना है;



(बी) किसी भी वाहन या जानवर को रोकें और निरीक्षण करें जिस पर केरोसिन बिक्री, आपूर्ति या भंडारण के लिए ले जा रहा है;
(सी) तलाशी लेना और जहां तक उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, डीलर के किसी व्यक्ति या वाहन या जानवर को हिरासत में लेना;

(डी) ऐसे लाइसेंस धारक या ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या ऐसे वाहन में या ऐसे जानवर पर पाए गए किसी भी मिट्टी के तेल को जब्त कर सकता है जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है, हो रहा है या होने वाला है। प्रतिबद्ध रहिए; और

(ई) किसी वाहन या जानवर या परिसर का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति (उसके एजेंटों और नौकरों सहित) जिसकी उप-धारा (ए) के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जाती है या तलाशी की मांग की जाती है, प्राधिकारी को अनुमति देगा मांग, ऐसे परिसर, वाहन या जानवर तक पहुंच और उससे पूछे गए सभी प्रश्नों का सच्चाई से और उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उत्तर देगा।

इस खंड को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसमें निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी उपखंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट कोई भी कार्रवाई कर सकता है और किसी भी डिपो या किसी अन्य व्यावसायिक परिसर में प्रवेश और निरीक्षण कर सकता है। एक केरोसिन डीलर - निजी उत्तरदाता ऐसे 'डीलर' होते हैं - आदेश के विभिन्न

प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए या खुद को संतुष्ट करने के लिए कि इस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। यदि निजी उत्तरदाता, मेरे विचार से, इस खंड की कठोरता के प्रति उत्तरदायी हैं, तो याचिकाकर्ताओं की संभावित शिकायत क्या हो सकती है, यह स्पष्ट नहीं है। मेरी राय है कि आदेश के खंड 3 से 6 के प्रावधानों से प्रतिवादी डिपो धारकों को दी छूट के लिए, आदेश के बाकी प्रावधान जहां तक वे आदेश के तहत किसी भी डीलर पर लागू होते हैं उन पर भी लागू रहता है। संक्षेप में, प्रतिवादी डिपो-धारकों को दी एकमात्र रियायत यह है कि उन्हें आदेश के तहत कोई लाइसेंस सुरक्षित नहीं करना होगा। इस प्रकार, मैं संतुष्ट हूं कि न तो आदेश का खंड 14 और न ही आक्षेपित अधिसूचना पी 2 भेदभाव के दोष से ग्रस्त है।

(6) उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, यह कहा जा सकता है कि मामले के प्रारंभिक चरणों में,



उन्होंने आग्रह किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 को 27 मई, 1976 से संविधान की अनुसूची 9 में रखा गया है, इसलिए नियंत्रण आदेश या अधिसूचना पी 2 के खंड 14 की वैधता पर कोई हमला नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 31-बी का तर्क यह था कि आदेश इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया है, और अधिसूचना पी 2 को आदेश के खंड 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रख्यापित किया गया है। आदेश के साथ-साथ अधिसूचना को अधिनियम का हिस्सा माना जाना चाहिए और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से शुरू की गई चुनौती के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हालाँकि, उन्होंने माना कि आदेश और आक्षेपित अधिसूचना पी 2 संविधान की नौवीं अनुसूची का हिस्सा नहीं हैं। मेसर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों के मद्देनजर उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण को मेरे द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था। प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1) :

"अनुच्छेद 31-बी को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर नौवीं अनुसूची की सुरक्षात्मक छत्रछाया केवल उसमें निर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों को अपने व्यापक दायरे में लेती है, लेकिन उन अधिनियमों और विनियमों के तहत जारी किए गए आदेशों और अधिसूचनाओं को नहीं। यह अनुच्छेद नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए, जब भी किसी कानून के प्रावधान की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से किसी का उल्लंघन करता है, तो राज्य द्वारा इस दलील पर खारिज करने की मांग की जाती है कि कानून रखा गया है। नौवीं अनुसूची में, एक संकीर्ण प्रश्न जिसे किसी को स्वयं संबोधित करना चाहिए वह यह है कि क्या विवादित कानून उस अनुसूची में निर्दिष्ट है। यह कहना कोई जवाब नहीं है कि यद्यपि विशेष कानून, उदाहरण के लिए नियंत्रण आदेश, नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है, मूल अधिनियम जिसके तहत आदेश जारी किया गया है वह उस अनुसूची में निर्दिष्ट है। चूँकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को नौवीं अनुसूची में रखा गया है, धारा 3(1) सहित इसका कोई भी प्रावधान, इस आधार पर हमला करने के लिए खुला नहीं है कि यह कभी भी असंगत था या है या किसी भी अधिकार को छीनता या कम करता है। संविधान के भाग III के किसी भी प्रावधान द्वारा प्रदान किया गया। लेकिन अधिनियम की धारा 3 के तहत पारित आदेश के लिए उस प्रतिरक्षा की सुरक्षा को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

(1) A.I.R. 1978 S.C. 1296.

सरसों तेल (मूल्य नियंत्रण) आदेश। व्युत्पन्न प्रतिरक्षा के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा कानूनों को कायम रखना हमारे संविधान के भाग III के प्रावधान की योजना के लिए विदेशी है और तदनुसार अधिनियमों और विनियमों के तहत जारी किए गए आदेशों और अधिसूचनाओं को, जो नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, उस चुनौती को पूरा करना होगा जो उनके खिलाफ है।

(7) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मुझे याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं दिखती है और इस प्रकार, मैं इसे उन लागतों के साथ खारिज कर देता हूं प्रत्येक मामले में 300 रुपये निर्धारित करता हूं।

R. N. R.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा